वित्तीय स्वीकृति 2020-21

संख्या-66/2020/1182/बावन-1-2020-2(1)/2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,

लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये ब्याज अदायगियों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 0.90 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1262/अ0स0क0नि0-52/लेखा/ बजट-प्रावि/2020-2021, दिनांक 27.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लेखा शीर्षक-2049 के अन्तर्गत ब्याज अदायगियों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 0.90 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 के क्रम में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार ब्याज अदायगियों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 1.80 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में 0.90 हजार (रू0 नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति को कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हेण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाय कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/2 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्कतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो समान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

http://finance.up.gov.in

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मेनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक- 2049-ब्याज अदायगियॉ-03-अल्पबचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-107-न्यासों तथा धर्मादायों पर ब्याज-03-विशेष ऋणों पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश (भारित) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव

संख्या-1182(1)/52-1-2020-2(1)/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वसीका अधिकारी, वसीका कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11

http://shasanadesh.up.gov.in

8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2,3,4

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in